न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 31/2018

1. अनरेश आयु 45 वर्ष पत्नी औंकार
2. दिनेश आयु 23 वर्ष पुत्र औंकार
3. धर्मेन्द्र आयु 21 वर्ष पुत्र औंकार समस्त जाति जाट निवासीगण खरसाडू तहसील धोद जिला सीकर।

बनाम

1. भगवाना पुत्र डूंगाराम।
2. फुलाराम पुत्र डूंगाराम समस्त जाति जाट निवासीगण खरसाडू तहसील धोद जिला सीकर।
3. तहसीलदार धोद जिला सीकर।

उपस्थिति :

1. श्री बजरंग सिंह शेखावत, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 01.10.2019

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा संख्या 31/2012 मे पारित निर्णय दिनांक 18.12.2012 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी रेस्पोडेंट ने अप्रार्थीगण अपीलांट के विरूद्व विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए प्रस्तुत कर कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 123 रकबा 3.13 हैक्टेयर वाके तन खरसाडू तहसील व जिला सीकर में स्थित है जो प्रार्थीगण के खाते कब्जे काश्त की है तथा प्रार्थीगण ही उक्त आराजी पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है। आराजी खसरा नम्बर 124 रकबा 2.81 हैक्टेयर ग्राम खरसाडु तहसील सीकर में स्थित है जो अप्रार्थीगण के खाते कब्जे काश्त की है। प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 123 में सदैव से आवागमन करने का रास्ता अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 124 से होकर सदैव से आवागमन करने का रास्ता अप्रार्थीगण पीढ़ियों से करते चले आ रहे है। उक्त रास्ता नक्शे में डोटेड लाईन से दर्शित किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण को खेत खसरा नम्बर 124 में से संलग्न नक्शे के अनुसार क,ख,ग, रास्ता दिलवाया जावें। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है जिससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

दौराने अपील प्रार्थी रेस्पोडेंट ने आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के आवेदन के साथ विनिमय पत्र प्रस्तुत कर रिकार्ड पर लेने का निवेदन किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष ने सहमति से आवेदन धारा 5, आवेदन आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार कर प्रकरण विचारण न्यायालय को पुन उभयपक्ष को सुनकर निर्णय हेतु प्रति प्रेषित करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में उभयपक्ष के अधिवक्तागण ने सहमति से आवेदन धारा 5, आवेदन आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार कर प्रकरण विचारण न्यायालय को पुन उभयपक्ष को सुनकर निर्णय हेतु प्रति

प्रदेश राजस्व ... अधिकारी

प्रेषित करने का निवेदन किया है। अतः न्यायाहित में धारा 5 का आवेदन स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत दस्तावेज रिकार्ड पर लिये जाते है। अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.10.2019 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 01.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर